संख्या- /1171/11-सं0वि0क0नि0-7-2014-700(556)/2013

प्रेषक,

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक 07 नवम्बर, 2014

विषय- **स्टाम्पवादों का समयबद्ध निस्तारण के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1973/11-5-2010-500(13)/2010, दिनांक 13 मई, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि स्टाम्पवाद योजित होने की तिथि से अधिकतम 3 माह के अन्दर उनका निस्तारण हो जाना चाहिए।

2. इस विषय में 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में यह टिप्पणी की गयी है कि शासन के आदेश के बावजूद 3 माह की अवधि से अधिक पुराने स्टाम्पवाद अनिस्तारित पाये गये। उनके द्वारा परीक्षित वादों में 4 से 94 माह का विलम्ब था। विभाग के स्तर पर वादों के निस्तारण में विलम्ब के कारण काफी ब्याज की देयता पक्षकारों पर आ गयी।

3. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह अत्यंत आवश्यक है कि स्टाम्प वाद को यथासम्भव उपरोक्त शासनादेश की समय-सीमा 3 माह के अन्तर्गत निस्तारण कर लिया जाय, जिससे पक्षकारों पर विभाग के स्तर पर वादों के निस्तारण में विलम्ब के कारण स्टाम्प शुल्क में कमी पर ब्याज की देयता अधिक न हो।

4. इस विषय में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार स्टाम्पवादों के 3 माह में निस्तारण हेतु निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

(i) स्टाम्प अधिनियम के सभी वादों को राजस्व परिषद की वेबसाइट पर वादों के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रविष्ट किया जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ii) यथा सम्भव प्रतिदिन 10-15 मिनट पोर्टल पर पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं अपने न्यायालय के लम्बित वादों का निरीक्षण किया जाए।

(iii) पीठासीन अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर 3 माह से अधिक समय से लम्बित स्टाम्पवादों की आख्या देखकर उनकों प्राथमिकता पर सुनवाई कर निस्तारित किया जाए। सभी अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के न्यायालय में लम्बित वादों का उनके समयबद्ध निस्तारण हेतु पोर्टल पर दी गयी व्यवस्था से अनुश्रवण किया जाए।

(iv) जिन प्रकरणों में रू0 10,000/- से कम के स्टाम्प शुल्क की कमी इंगित की गयी है, उन प्रकरणों में यह परीक्षण कर लिया जाए कि जो भी पक्षकार उस स्टाम्प शुल्क की कमी को देने पर स्वत: सहमत हो तो उसे बिना दण्ड के जमा कराते हुए वाद को समाप्त कर दिया जाए, जिससे अधिक स्टाम्प शुल्क की कमी के गंभीर वादों के प्रति प्रर्याप्त समय दिया जाना संभव हो सके।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-यथोक्त, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- 1. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त के संबंध में अपने स्तर से अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

2. गाई फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in